भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारां कत प्रश्न संख्या **2615**

(मंगलवार**, 11** अगस्त**, 2026/20** श्रावण**, 1948 (**शक) को उत्तर के लए)

हिमाचल प्रदेश के निवेशकों के अदावी लाभांश एवं शेयरों का आईईपीएफ में अंतरण

2615 श्री हर्ष महाजनः

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) पछले पांच वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश के निवेशकों से संबं धत वनिधानकर्ता शक्षा एवं संरक्षण नि ध (आईईपीएफ) को हस्तांतरित अदावी लाभांश की रा श और शेयरों की संख्या वर्ष-वार कतनी- कतनी है;

(ख) उक्त अव ध के दौरान प्रपत्र आईईपीएफ-5 के अंतर्गत राज्य के निवेशकों द्वारा दायर दावों की संख्या तथा उन्हें लौटाई गई रा श कतनी है;

(ग) सरकार द्वारा राज्य में, वशेष रूप से दूरदराज और पहाड़ी जिलों में, निवेशकों के बीच आईईपीएफ धनवापसी प्र क्रया के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु क्या-क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार दावा/धनवापसी प्र क्रया को और अ धक सरल बनाने का वचार रखती है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख): आईईपीएफ प्रपत्र कंपनी-वार दा खल कए जाते हैं। अतः राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग): वनिधानकर्ता शक्षा और संरक्षण नि ध प्रा धकरण (आईईपीएफए) हिमाचल प्रदेश के दूरस्थ एवं पर्वतीय जिलों सहित देशभर में निवेशक जागरूकता संबंधी पहल करता है। इनमें व्यावसायिक संस्थानों तथा सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के सहयोग से निवेशक जागरूकता कार्यक्रम (आईएपी) आयोजित करना शा मल है। वर्ष **2025-26** के दौरान**,** निवेशक दीदी चरण-**II** पहल के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल **11** वत्तीय साक्षरता श वर आयोजित कए गए**,** जिनमें आ र्थक रूप से कमजोर एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं तथा अन्य ग्रामीण लाभा र्थयों पर ध्यान केंद्रित कया गया।

(घ): सरकार ने आईईपीएफ दावे/रिफंड प्र क्रया को सरल बनाने के लए पहले ही कदम उठाए हैं। दावों के निपटान तथा निवेशकों की शकायतों के बेहतर निवारण के लए अगस्त**, 2025** में एकीकृत पोर्टल और कॉल सेंटर शुरू कया गया। इस एकीकरण को समर्थन देने के लए प्रपत्र आईईपीएफ-**5** तथा इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन रिपोर्ट (ईवीआर) के पुनः अ धसू चत संस्करण **6** अक्टूबर**, 2025** से लागू कए गए हैं**,** जिनमें गंतव्य डीमैट खाते से संबद्ध बैंक ववरणों की स्वतः प्राप्ति तथा ईवीआर चरण में शेयरधारण संबंधी ववरणों का कंपनी-पक्षीय सत्यापन जैसी उन्नत सु वधाएँ शा मल हैं।
